

प्रशाखा का विवरण

प्रशाखा का नाम	प्रशाखा के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य
1.	मुख्यालय अन्तर्गत राजपत्रित स्थापना (प्रशाखा पदा०/आप्त सचिव एवं उपर के पदाधिकारी) मंत्री स्थापना/बैठक/प्रशिक्षण/मनोनयन/ चिकित्सा प्रतिपूर्ति संबंधित परामर्श/रिपोर्ट/मानदेय/विविध कार्य
2.	मुख्यालय अन्तर्गत अराजपत्रित स्थापना (समूह घ से सहायक/निजी सहायक तक) संविदा कर्मी/वर्दी/त्योहार अग्रिम/एल०टी०सी०, गृह रियायत यात्रा/क्रय एवं भंडार संधारण/विविध कार्य
3.	लेखा-1(राजपत्रित पदाधिकारियों के विपत्र संबंधित सभी कार्य, विभागीय वाहन के रख रखाव एवं ईंधन आपूर्ति, वित्त विभाग के अंकेक्षण संबंधित सभी कार्य)
4.	लेखा-2 (अराजपत्रित कर्मियों के विपत्र संबंधित सभी कार्य, विभागीय दूरभाष संबंधित कार्य, राज्य गठन के पूर्व के लेखा संबंधित अभिलेख का संधारण)
5.	राजकीय मुद्रणालय के कर्मियों का स्थापना/मुद्रणालय अन्तर्गत क्रय व इन्डेंट आदि
6.	राजकीय मुद्रणालय के अधीन लेखा शाखा का कार्य/प्रेस मशीन का रखरखाव/गजट व पुस्तक का संधारण व बिक्री का कार्य
7.	गृह निर्माण अग्रिम/मोटर कार, मोटर सायकिल अग्रिम संबंधी कार्य (विभाग का निर्धारण अवर सचिव के स्तर से)
8.	गृह निर्माण अग्रिम/मोटर कार, मोटर सायकिल अग्रिम संबंधी कार्य (विभाग का निर्धारण अवर सचिव के स्तर से)
9.	पेंशन/अंशदायी पेंशन योजना संबंधी नीति एवं परामर्श/संबंधित न्यायिक मामले
10.	गुप बीमा/अनुग्रह अनुदान संबंधी नीति एवं परामर्श/संबंधित न्यायिक मामले
11.	वेतनमान स्वीकृति/फिटमेंट कमिटी/अपीलीय कमिटी संबंधी नीति एवं परामर्श/संबंधित न्यायिक मामले/प्रशासी पदवर्ग समिति
12.	सेवा नियमावली/विभिन्न तरह के भत्ते संबंधी नीति एवं परामर्श/संबंधित न्यायिक मामले
13.	कालबद्ध प्रोन्नति/ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी०/वेतन निर्धारण/सत्यापन संबंधी सभी मामले (नीतिगत एवं परामर्श)/संबंधित न्यायिक मामले (विभाग का निर्धारण अवर सचिव के स्तर से)
14.	कालबद्ध प्रोन्नति/ए०सी०पी०/एम०ए०सी०पी०/वेतन निर्धारण/सत्यापन संबंधी सभी

	मामले (नीतिगत एवं परामर्श)/संबंधित न्यायिक मामले (विभाग का निर्धारण अवर सचिव के स्तर से)
15.	झारखण्ड सेवा संहिता से जुड़े सेवाशर्त/ सेवा विनियमन/ वेतन संरक्षण/ अवकाश आदि मामले नीति एवं परामर्श संबंधी न्यायिक मामले
16.	लोक उद्यम व्यूरो संबंधी समस्त कार्य
17.	कोषागार स्थापना (कोषागार कर्मियों का वेतनादि, बजट, आबंटन/कोषागार पदाधिकारियों का स्थानान्तरण/कोषागार कर्मियों पर आरोप)
18.	लेखा सेवा का नियंत्रण व स्थापना/आस्ति एवं दायित्व/निगरानी कोषांग (राज्यकर्मियों के विरुद्ध प्राप्त होने वाले परिवाद पत्रों की जाँच)/भविष्य निधि नियमावली (नीति व परामर्श)
19.	वित्तीय प्रबंधन (वित्तीय नियमावली) वित्तीय नियमावली की व्याख्या वित्तीय नियमों में संशोधन वित्तीय नियमावली के नियमों का शिथिलीकरण आन्तरिक वित्तीय सलाहकार अधिसूचित करने का कार्य
20.	वित्तीय प्रबंधन (कोषागार नियमावली) कोषागार नियमावली की व्याख्या, नियमों में संशोधन या शिथिलीकरण के नीतिगत व परामर्श के मामले/ए०सी०डी०सी०/पी०एल० सी०डी०/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित करना/प्राधिकार पत्र/अनुदान व अग्रिम से संबंधित नियम
21.	इन्डेंट पदाधिकारी घोषित करना/महालेखाकार (लेखा नियंत्रक) अंकेक्षण संबंधी कार्य/गबन एवं क्षति
22.	लोक लेखा समिति/अपलेखन/लेखा विनियोग तथा अंकेक्षण प्रतिवेदन
23.	स्कीम- I विभिन्न विभागों के योजना एवं गैर योजना से संबंधित कार्य/विभिन्न विभागों द्वारा निर्गत राज्यादेशों का संसूचन (विभाग का निर्धारण अवर सचिव के स्तर से)
24.	स्कीम- II विभिन्न विभागों के योजना एवं गैर योजना से संबंधित कार्य/विभिन्न विभागों द्वारा निर्गत राज्यादेशों का संसूचन (विभाग का निर्धारण अवर सचिव के स्तर से)
25.	साधनस्रोत/आयोजन/ऋण राजस्व/आय पर कर/वित्तीय एवं लेखा विषयक नियम विनियम बनाना/संहिता तैयार करना एवं उसका निर्वाचन तथा वित्तीय क्षेत्र में अन्यान्य प्रश्नों का निर्वाचन/व्यापार नियम
26.	बजट- 1(माँग संख्या-1 से 15 से संबंधित कार्य)

27.	बजट- 2(माँग संख्या-16 से 30 से संबंधित कार्य)
28.	बजट- 3(माँग संख्या-31 से 45 से संबंधित कार्य)
29.	बजट- 4 (माँग संख्या-46 से 60 से संबंधित कार्य)
30.	अर्थोपाय (करेन्सी, सिक्काकारी और ग्राह्य मुद्रा)/संघीय राष्ट्रीय ऋण/राज्य सरकार द्वारा लिया गया उधार/ऋण प्रदान करना/राज्य का लोक ऋण
31.	व्यय प्रबंधन/मूल्यांकन/डाटा संग्रहण/वित्त आयोग/कोषागार के मासिक लेखा कार्यकलाप एवं अनुश्रवण
32.	वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग राज्य सेवा वर्ग-2 के पदाधिकारियों की स्थापना से संबंधित कार्य (पुलिस सेवा, वित्त सेवा, वन सेवा, कारा सेवा, अभियोजन सेवा, प्रोवेशन सेवा, अग्निशाम सेवा, फ़ोरेंसिक सेवा, अन्यान्य सेवा)
33.	वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग राज्य सेवा वर्ग-2 के पदाधिकारियों की स्थापना से संबंधित कार्य (प्रशासनिक सेवा, बंदोवस्त सेवा, उत्पाद सेवा, सहकारिता सेवा, खनन सेवा, उद्योग सेवा, भूतत्व सेवा, अन्यान्य सेवा)
34.	वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग राज्य सेवा वर्ग-2 के पदाधिकारियों की स्थापना से संबंधित कार्य (अभियंत्रण सेवा, शिक्षा सेवा, निबंधन सेवा, सूचना सेवा, योजना सेवा, सचिवालय सेवा, आशुलिपिकीय सेवा, अन्यान्य सेवा)
35.	वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग राज्य सेवा वर्ग-2 के पदाधिकारियों की स्थापना से संबंधित कार्य(चिकित्सा सेवा, आयुष चिकित्सा सेवा, देशी चिकित्सा सेवा, श्रम सेवा, नियोजन सेवा, श्रम तकनीकी सेवा, श्रम सामाजिक सुरक्षा सेवा, अन्यान्य सेवा)
36.	वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग राज्य सेवा वर्ग-2 के पदाधिकारियों की स्थापना से संबंधित कार्य (पशुपालन चिकित्सा सेवा, पशुपालन गव्य सेवा, पशुपालन मत्स्य सेवा, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सेवा, कृषि सेवा, सांख्यिकी सेवा, विधान सभा सचिवालय, निर्वाचन सेवा, अन्यान्य सेवा)
37.	वित्त (अंकेक्षण) शाखा-I (कार्य का आवंटन मुख्य लेखा नियंत्रक/प्रभारी संयुक्त सचिव के द्वारा किया जायेगा)
38.	वित्त (अंकेक्षण) शाखा-II (कार्य का आवंटन मुख्य लेखा नियंत्रक/प्रभारी संयुक्त सचिव के द्वारा किया जायेगा)
39.	वित्त (अंकेक्षण) शाखा-III (कार्य का आवंटन मुख्य लेखा नियंत्रक/ प्रभारी संयुक्त सचिव के द्वारा किया जायेगा)
40.	विधि कोषांग (विधि संबंधी सभी मामले)
41.	भविष्य निधि निदेशालय (कार्य का आवंटन भविष्य निधि निदेशक/ उप निदेशक

	द्वारा)
42.	भविष्य निधि निदेशालय-1। (कार्य का आबंटन भविष्य निधि निदेशक/ उप निदेशक द्वारा)
43.	भविष्य निधि निदेशालय-1।। (कार्य का आबंटन भविष्य निधि निदेशक/ उप निदेशक द्वारा)
44.	जन सूचना कोषांग/ सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित कार्य/विभागीय आदेश का वेवसाईट पर प्रदर्शन /विभागीय परिपत्र संग्रह (वार्षिक) प्रकाशित करना, CPGRAM
45.	लेखा प्रशिक्षण विद्यालय (स्थापना एवं प्रशिक्षण), PMU Cell

